बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

:: **संकल्प** ::

पटना–15 दिनांक..................................

श्री नरेन्द्र नाथ, बि०प्र०से० (कोटि क्रमांक–766/11) के विरूद्ध कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, जहानाबाद के पदस्थापन काल (वर्ष–2014–15) में उपकरणों के क्रय में अनियमितता एवं मुख्यालय से अनुपस्थित रहने इत्यादि के आरोपों पर कार्रवाई हेतु नगर विकास एवं आवास विभाग का प्रस्ताव (पत्रांक–5824 दिनांक 27.11.2015) प्राप्त हुआ। जिसके आलोक में विभागीय स्तर पर गठित एवं अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा अनुमोदित आरोप, प्रपत्र 'क' की प्रति संलग्न करते हुए पत्रांक–6090 दिनांक 29.04.2016 द्वारा श्री नाथ से स्पष्टीकरण की माँग की गयी। निर्धारित अवधि में स्पष्टीकरण अप्राप्त रहने के कारण दिनांक 11.05.2017 को प्रेस विज्ञप्ति जारी कर एतद्‌संबंधी विभागीय आदेश के अनुपालन का निदेश दिया गया। इसके बावजूद स्पष्टीकरण अप्राप्त रहा। इस प्रकार श्री नाथ द्वारा उच्चाधिकारियों/सरकार के आदेश की अवहेलना की गयी। नगर विकास एवं आवास विभाग के अधिसूचना सं०–2088 दिनांक 14.04.2015 द्वारा श्री नाथ की सेवाएँ सामान्य प्रशासन विभाग को वापस की गयी। इस क्रम में उन्होंने दिनांक 05.05.2015 को धारित पद (कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद् जहानाबाद) का प्रभार सौंप दिया परन्तु सामान्य प्रशासन विभाग में योगदान नहीं किया। सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना सं०–11747 दिनांक 12.08.2015 द्वारा श्री नाथ को वरीय उप समाहर्त्ता, सीतामढ़ी के पद पर पदस्थापित किया गया परन्तु उन्होंने अधिसूचित पद पर योगदान नहीं किया। इस प्रकार वे बिना किसी सूचना के दो वर्षो से अनुपस्थिति है।

उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 के नियम 9 (1) (क) में निहित प्रावधानों के तहत श्री नाथ को आदेश निर्गत होने की तिथि से अगले आदेश तक के लिए निलंबित किया जाता है।

2. निलंबन अवधि में श्री नाथ का मुख्यालय प्रमंडलीय आयुक्त का कार्यालय, मगध प्रमंडल, गया निर्धारित किया जाता है।

3. निलंबन अवधि में इन्हें बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 के नियम–10 के आलोक में जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/–

(राम बिशुन राय)

सरकार के अवर सचिव।

निबंधित स्पीड पोस्ट

ज्ञापांक–08/आरोप–01–120/2015,सा०प्र०,9534**/पटना, दिनांक** 26-7-17

प्रतिलिपि–महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, बिहार, पटना/वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/ प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना/आयुक्त, मगध प्रमंडल, गया/जिला पदाधिकारी, जहानाबाद/सीतामढ़ी/कोषागार पदाधिकारी, सीतामढ़ी/ श्री नरेन्द्र नाथ, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक–766/11, सम्प्रति निलंबित एवं मुख्यालय– आयुक्त कार्यालय, मगध प्रमंडल, गया, पत्राचार हेतु स्थायी पता :– पिता–स्व० राधाकान्त प्रसाद, ग्राम–रोहिनियाँ, पोस्ट–झगराखांड, थाना–भवनाथपुर, जिला–गढ़वा, झारखंड, पिन कोड–822112/अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा–12/14/चारित्री कोषांग/आई० टी० मैनेजर (विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु), सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/7/17

सरकार के अवर सचिव।